

न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

**शिविर न्यायालय, वीरपुर**

**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या— 381/20**

तनवीर आलम बनाम् बिहार सरकार

28.09.20—

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन, अभियुक्त आवेदक तनवीर आलम की ओर से दाखिल किया गया है, जो वीरपुर थाना काण्ड संख्या 69/20, अन्तर्गत धारा 341,342,147,149,504,506,379,353 भा0द0वि0 के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है तथा यह वाद विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में लम्बित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने एक आवेदन इस आशय का दाखिल किये हैं कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त आवेदक को अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा जमानत दिया जा चुका है। अतः अभियुक्त आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को न्यायहित में वापस करने का प्रार्थना करते हैं।

सुना। प्रार्थना स्वीकृत की जाती है। आवेदक की ओर से दाखिल वापसी आवेदन के आलोक में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित

सत्र न्यायाधीश, सुपौल  
शिविर न्यायालय, वीरपुर